न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील संख्या :–122/2016/भीलवाडा (2016/00067)

पेमा पिता बक्षु उर्फ बक्षा गाडरी, मृतक जरिये विधिक वारिसान :–

1. मांगू पिता पेमा गाडरी (पूर्बिया),
2. जमना पिता पेमा गाडरी (पूर्बिया),
3. शंकर पिता पेमा गाडरी (पूर्बिया),
4. डाली पुत्री पेमा गाडरी (पूर्बिया),
5. चन्द्री पुत्री पेमा गाडरी (पूर्बिया),
6. उदी पुत्री पेमा गाडरी (पूर्बिया),
7. पेमी पत्नी पेमा गाडरी (पूर्बिया),

समस्त नि0 झौपडिया (मंगरोप) तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. भूरा पिता बक्षु उर्फ बक्षा गाडरी मृतक जरिये विधिक वारिसान :–

1/1 भैरूलाल पिता भूरा गाडरी (पूर्बिया),
1/2 गोमालाल पिता भूरा गाडरी (पूर्बिया),,
1/3 सांवरलाल पिता भूरा गाडरी (पूर्बिया),
1/4 रतनलाल पिता भूरा गाडरी (पूर्बिया),
1/5 उदी पुत्री भूरा गाडरी (पूर्बिया),
1/6 फेफी उर्फ कवरी बेवा भूरा गाडरी (पूर्बिया),

2. काना पिता बक्षु उर्फ बक्षा गाडरी मृतक जरिये विधिक वारिसान :–

2/1 जमना पिता काना,
2/2 नारायण पिता काना,
2/3 कंकु बेवा काना,
2/4 हरकु पुत्री काना,
2/5 बेना पुत्री काना,

समस्त नि0 झौपडिया (मंगरोप) तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा ।

3. सरपंच ग्राम पंचायत मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हमीरगढ, जिला भीलवाडा।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (लैण्ड रिकार्ड आफिसर) हमीरगढ जिला भीलवाडा दिनांक 06.06.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 14/2013.

उपस्थितः–

1. श्री श्याम लाल गुर्जर, वकील अपीलांट संख्या 1, 2 अनुपस्थित ।
2. श्री भींयाराम चौधरी, वकील अपीलांट संख्या 3 से 7 एवं राज0अभि0 उपस्थित ।
3. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 के वारिसान एवं 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 27.11.2018

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 06.06.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट संख्या 1 लगायत 7 के स्वर्गीय पिता व पति पेमा पिता बक्षु गाडरी की ओर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत, मंगरोप, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा बमामले नामान्तरकरण संख्या 178 दिनांक 12.10.1977 के खिलाफ अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ) द्वारा दिनांक 06.06.2016 को निर्णय पारित किया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 2 के वारिसान एवं रेस्पो0 सं0 3 अनुपस्थित । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई। । xx

3- विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट के पिता/पति पेमा (मृतक) ने अपील संख्या 14/2013 प्रस्तुत कर रखी थी। उक्त अपील से संबंधित आराजीयात का एक मूल वाद संख्या 178/2010 भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। उक्त वाद को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ द्वारा कोर्ट केम्प मंगरोप में दिनांक 06.06.2016 को समझाईश के आधार पर निर्णय कर दिया। उक्त वाद संख्या 178/2010 के निर्णय के आधार पर अपील संख्या 14/2013 दिनांक 06.06.2016 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मूल वाद निर्णय हो चुका है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है क्योंकि प्रथम दृष्टया नियमित राजस्व मूल वाद संख्या 178/2010, जो विचाराधीन होकर दिनांक 06.06.2016 को केम्प कोर्ट मंगरोप में पक्षकारान की सहमति व पक्षकारान को समझाईश के आधार पर दावा डिक्री किया गया था में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र में एक मात्र ग्राम मंगरोप तहसील हमीरगढ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1108 व 1132 किता 02 रकबा 11.14 बीघा तथा ग्राम झौपडिया तहसील हमीरगढ में

स्थित आराजी खसरा नम्बर 1080 रकबा 3.12 भूमि के लिए प्रस्तुत किया गया था जबकि नामान्तरकरण की अपील में उक्त आराजीयात के अलावा भिन्न आराजी वाके ग्राम झौपडिया खसरा नम्बर 714, 725, 838, 880 किता 04 रकबा 04.06 बीघा, खसरा नम्बर 4069/831 किता 1 रकबा 4.15 बीघा, खसरा नम्बर 715, 831, 832, 834, 835, 836, 837, 840, 841, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 891 किता 16 रकबा 12.11 बीघा, खसरा नम्बर 720, 839, 879 किता 03 रकबा 4.07 बीघा, खसरा नम्बर 713, 716, 722, 723, 727, 892, 700/3 किता 7 रकबा 8.11 बीघा व चाह नम्बर 716, 834, 885 के बारे में अपील प्रस्तुत की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ) द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.06. 2016 में उक्तानुसार उल्लेख करते हुए अपील को खारिज करना विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने नियमित वाद संख्या 178/2010 के निर्णित हो जाने से प्रस्तुत अपील संख्या 14/2013 को खारिज करने में विधिक भूल की है क्योंकि नियमित राजस्व वाद में जो निर्णय पारित किया जाकर डिक्री जारी करने के आदेश दिये है वो मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध एवं अपील में अंकित खसरा नम्बरों को सम्मिलित करते हुए निर्णित किये जाने से प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। अपील संख्या 14/2013 में अपीलांट्स ने ग्राम पंचायत से अपने नामान्तरकरण निर्णय में पेमा को अन्यत्र गोद जाना बताते हुए स्वर्गीय बक्षु उर्फ बक्षा के स्वर्गवास होने पर विरासत से विवादित नामान्तरकरण संख्या 178 निर्णय दिनांक 12.10.1997 में गोद जाना बताकर स्वर्गीय बक्षु उर्फ बक्षा के विरासत में केवल मात्र दो पुत्र स्वर्गीय भूरा एवं स्वर्गीय काना का नाम अभिलिखत करने के आदेश दिये थे जबकि अपीलांट्स के पिता पेमा कभी भी किसी के गोद नहीं गये। तत्समय अपीलांट के पिता ने अपने पिता स्वर्गीय बक्षु उर्फ बक्षा के निधन पर नामान्तरकरण संख्या 178 में विरासतन तीनों पुत्र स्वर्गीय पेमा, भूरा, काना के नाम पर अभिलिखत कराने हेतु अपील में अनुतोष चाहा था। ऐसे निर्णय व डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण अपील को खारिज करना स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य है।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि अपीलार्थी का अपील से संबंधित आराजीयात का मूल वाद संख्या 178/2010 चल रहा था, जिसका निर्णय होने से पत्रावली खारिज की जाती है। अपीलांट अभिभाषक द्वारा अपील में अंकित तथ्य कि उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ द्वारा डिक्री में जिन खसरा नम्बर बाबत राजीनामा किया गया उनके अतिरिक्त अन्य खसरा नम्बर 4069/831

किता 1 रकबा 4.15 बीघा, खसरा नम्बर 715, 831, 832, 834, 835, 836, 837, 840, 841, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 891 किता 16 रकबा 12.11 बीघा, खसरा नम्बर 720, 839, 879 किता 03 रकबा 4.07 बीघा, खसरा नम्बर 713, 716, 722, 723, 727, 892, 700/3 किता 7 रकबा 8.11 बीघा व चाह नम्बर 716, 834, 885 बाबत भी उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। उक्त तथ्यों को अपीलांट अभिभाषक द्वारा राजस्व रिकार्ड यथा मिलान क्षेत्रफल वगैरह से साबित नहीं किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्यों में केवल खाता संख्या 166 का ही उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मूल अपील मीमों में केवल खाता संख्या 166 का ही उल्लेख है परन्तु अपीलांटस द्वारा दिनांक 07.10. 2011को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा.दी. के तहत प्रस्तुत खाता संख्या 166 के स्थान पर खाता संख्या 186, 189 व 190 संशोधित करने हेतु निवेदन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 निर्णित नहीं किया गया है तथा ना ही न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील मीमो में उक्त आशय का उल्लेख किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 रेकार्ड पर नहीं लिया गया है। इसके अलावा यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि विवादित आराजीयात से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मूल वाद एवं निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि ही प्रस्तुत नहीं की है, जिससे न्यायालय हाजा यह सुनिश्चित कर सके कि वाद एवं अपील के तथ्य भिन्न–भिन्न होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद के निर्णित होने के आधार पर अपीलांट की अपील निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि कारित की है अथवा नहीं।

1- अतः अपीलांटस द्वारा अपील मीमो में निर्णित वाद में उल्लेखित खसरा नम्बरान के अलावा भी अन्य खसरा नम्बर का विवाद होने मात्र का अंकन किये जाने से ही अपीलांटस की अपील स्वीकार योग्य नहीं मानी जा सकती अपितु अपीलांटस को अपील मीमो में वांछित राहत के संबंध में अंकित आधारों के संबंध में राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करने चाहिये थे परन्तु उनके द्वारा अपने कथन के पक्ष में साक्ष्य वगैराह प्रस्तुत नहीं किये है तथा यहां यह तथ्य भी निर्विवादित है कि दोनों पक्षकारान के मध्य अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद आपसी सहमति से लोक अदालत द्वारा अंतिम निर्णय पारित किया गया है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाता है ।

—:क्रियात्मक आदेशः—

2- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 122/2016 (2016/00067) बउनवान मांगू गाडरी व अन्य बनाम भैरूलाल गाडरी व अन्य को अपास्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ जिला भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 14/2013 बउनवानी पेमा बनाम भूरा वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2016 को यथावत रखा जाता है।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

3- आदेश आज दिनांक 27.11.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2018.11.28 12:07:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: